

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

पात्रता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीया/श्री/श्रीमति.....
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ग्राम.....
तहसील जिला के निवासी है। जिसकी
खातेदारी भूमि ग्राम तहसील जिला.....
के राजस्व रिकार्ड खाता संख्या खसरा नम्बर रकबा.....
में दर्ज है।

प्रार्थी/प्रार्थीया/परिवार के किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में पात्रता की जांच पटवारी हल्का द्वारा की गई जो निम्न प्रकार है।

1. प्रार्थी/प्रार्थीया सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड का कर्मचारी नहीं है।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया द्वारा किसी भी प्रकार की पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा/रही है।
3. प्रार्थी/प्रार्थीया की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है।
4. प्रार्थी/प्रार्थीया के परिवार का किसी भी सदस्य द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा रहा है।
5. उक्त भूमि रिकॉर्ड व जमाबंदी दिनांक 01.02.2019 के बाद की Partition Deed, Gift Deed, Sale Deed के अन्तर्गत नहीं है।
6. पति-पत्नि दोनों के आधार कार्ड की प्रतियां संलग्न कर दी गई है।

उपरोक्तानुसार जांच कर ली गई है प्रार्थी/प्रार्थीया किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र है। रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....

सरपंच
ग्राम पंचायत.....

हस्ताक्षर
पटवार हल्का